कार्यालय मुख्य कार्यपालक अधिकारी
भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण
बीडा भदोही

पत्र संख्या बीडा/तकनीकी--दो/( )/16/ दिनांक

कार्यादेश

सेवा में,

श्री अनिल दुग्गल,
मे0 दुग्गल एशोसिएट्स प्रा0लि0
म0सं0 55 द्वितीय फ्लोर लेन 2
वेस्टन मार्ग सैदुलाजाब
नई दिल्ली।

विषय : रजपुरा वाणिज्यिक सह–आवासीय योजना में मार्ट का निर्माण प्रथम तल एवं द्वितीय तल के कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके निविदा दिनांक 22.09.16 जो आगणित दर पर रही, सर्व निम्न होने के कारण मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक .... को स्वीकृति दी गयी है, जिसके अनुसार कार्य की कुल लागत धनांक रू0 64180357.00 (रूपया छः करोड़ इक्तालीस लाख अस्सी हजार तीन सौ सत्तावन) मात्र हो रही है।

अतः आपसे अपेक्षित है कि निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप उक्त कार्य को दिनांक 15.10.16 से प्रारम्भ कर एक वर्ष (14.010.17) तक निश्चित रूप से पूर्ण करा दें, अन्यथा की स्थिति में अनुबन्ध के अनुसार विलम्ब हेतु कटौती की जायेगी। कार्यादेश निर्गत तिथि के पश्चात 15 दिन के अन्दर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा ठेका निरस्त समझा जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आपसे यह भी अपेक्षित है कि 5 प्रतिशत जमानत की धनराशि, राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ.डी.आर. के रूप में रू0 3209050.00 (रूपया बत्तीस लाख नौ हजार पचास) जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी बीडा के पक्ष में बन्धक हो तथा रू0 110/– नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर राजकीय कोषागार भदोही का कय कर कार्यालय में जमा कर आवश्यक अनुवन्ध करा लें। साथ ही 100/– रू0 के स्टैम्प पेपर पर इस आशय का बाण्ड/ शपथ कार्यालय में दे दें कि यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा शासन के पक्ष मे निर्णय पारित किया जाता है तो आप द्वारा ठेका अनुबन्ध में लगने वाले अवशेष स्टाम्प पेपर के निमित्त स्टैम्प शुल्क का भुगतान विभाग के लेखा शीर्षक में जमा कर दिया जायेगा। किन्ही भी परिस्थितियों में स्टैम्प पेपर का कय कोषागार से ही होगा और इसके सही होने की समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

इस कार्य के अवर अभियन्ता श्री आर.डी. भारती, श्री आदित्य यादव एवं श्री विनोद कुमार (सिविल) तथा श्री प्रद्युम्न कुमार सिन्हा (विद्युत) होंगे तथा कार्य का पर्यवेक्षण श्री अमरनाथ सरोज, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जायेगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कार्य से सम्बन्धित अभियन्ताओं से सम्पर्क स्थापित करते हुए कार्य को निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप समय सीमा के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अवर अभियन्ताओं

के मध्य कार्य स्थल पर कार्यों / दायित्वों का निर्धारण सहायक अभियन्ता द्वारा [illegible] मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी कार्य का समय समय पर निरीक्षण [illegible] हुए यथोचित मार्ग निर्देशन दिया जायेगा, जिसका अनुपालन तकनीकी स्टाफ [illegible] आपको भी करना होगा। कार्य समय सीमा के अन्दर पूर्ण न होने की स्थिति में अनुबन्ध / कार्यादेश / वित्तीय हस्तपुस्तिका के शर्तों / नियमों के अन्तर्गत अर्थदण्ड अथवा ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

कार्य प्रारम्भ होने व कार्य को पूर्ण कराने के पश्चात आपको साइट की फोटोग्राफी सम्बन्धित अवर अभियन्ता / सहायक अभियन्ता के समक्ष करानी होगी। कार्य के दौरान निम्न विन्दुओं पर अनुपालन अति आवश्यक होगा :–

1. अनुबन्ध के पूर्व इस कार्य का पंजीकरण श्रम विभाग, ज्ञानपुर में कराना अनिवार्य है।
2. कोई मैटेरियल कार्य स्थल पर निम्न क्वालिटी का गिरा पाये जाने पर आपके हर्जे–खर्चे पर एवं रू0 10000.00 पेनाल्टी के साथ साइट से हटवा दिया जायेगा।
3. अन्तिम भुगतान के समय प्रस्तुत एमएम 11 की सही होने की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की स्वयं होगी।
4. लेवर सेस के बारे में अलग से निर्धारण किया जायेगा।
5. मैटेरियल की जॉच अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के देख–रेख में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ठेकेदार के खर्च पर कराया जायेगा जिसका भुगतान ठेकेदार स्वयं करेगा।
6. जमानत धनराशि का भुगतान अन्तिम भुगतान की तिथि से एक वर्ष की अवधि के उपरान्त ही किया जायेगा तथा उक्त एक वर्ष की अवधि में समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

भवदीय,

(आर0ए0 यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पत्र संख्या बीडा / तकनीकी–दो / (1382) / 16 / 1942 दिनांक 07-10-16

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रम आयुक्त, ज्ञानपुर भदोही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्बन्धित अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता को इस निर्देश के साथ कि वे कार्य के दौरान निश्चित रूप से साइट पर उपस्थित रहेंगे तथा कार्य गुणवत्ता के अनुरूप निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगें।
3. वित्त एवं लेखानुभाग।
4. बाण्ड पत्रावली में संलग्न करने हेतु।

(आर0ए0 यादव)
अधिशासी अभियन्ता